

सार्वजनिक सूचना

राज्य परिवहन, हरियाणा द्वारा साधारण व मिनी बसें कि०मी० आधार पर किराये पर लेने हेतू निविदा संख्या 7/एसपीए-1/तक व 9/एसपीए-1/तक क्रमशः दिनांक 22.12.2015 व 22.01.2016 तक आमन्त्रित की गई थी। सरकार द्वारा स्टैण्डर्ड (गैर वातानुकूलित) बसों के लिये 47.00 रू० प्रति लीटर डीज़ल की दर पर 16.60 रू० प्रति कि०मी० की दर स्वीकृत की गई है।

सभी आवेदनकर्ताओं जिन्होंने उपरोक्त आनलाइन टैण्डर भरे हैं, को सूचित किया जाता है कि जो भी प्रार्थी उक्त रेट पर टैण्डर में दी गई संख्या में बसें चलाने के इच्छुक हैं वह 21 दिन के अन्दर-2 अर्थात 15 जून, 2016 तक इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को लिखित सहमति देने का कष्ट करें ताकि स्टैण्डर्ड (गैर वातानुकूलित) बसें कि०मी० आधार पर लेने की आगामी कार्यवाही टैण्डर की शर्तों के अनुसार पूरी की जा सके।

25.05.2016

हस्ता०
निदेशक,
राज्य परिवहन, हरियाणा